



2026:AHC:178227

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**धारा 482 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -**

**8415 सन् 2026**

बसंत

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 1 अन्य

.....विपक्षी पक्षकार(गण)

---

आवेदक के अधिवक्ता : शिखर अवस्थी

विपक्षी पक्षकार(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, प्रदीप कुमार भारद्वाज

---

**न्यायालय संख्या - 71**

**माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार भारद्वाज को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 184/2026, थाना काकोड़, जनपद बुलंदशहर, भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 318(4), 336(3), 338, 340(2), 351(2) के अंतर्गत, उसे अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना सहित प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को वर्तमान मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया है। उसे उन व्यक्तियों में से एक बताया गया है, जिन्होंने सूचनाकर्ता को फर्जी विक्रेताओं से परिचित कराया था तथा वह कथित विक्रय पत्र का न तो विक्रेता/क्रेता के रूप में और न ही हाशिए के साक्षी के रूप में पक्षकार है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह कथन किया कि आवेदक को विक्रय प्रतिफल का कोई भाग उसके खाते में प्राप्त नहीं हुआ है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त परवेश उर्फ बंटी भाटी को इस न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा **आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 17974/2026 (परवेश उर्फ बंटी भाटी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य)** में अंतरिम संरक्षण प्रदान किया जा चुका है। आवेदक का यद्यपि दो अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है, तथापि, एक मामले में आवेदक जमानत पर है तथा दूसरा मामला उसके बड़े भाई के वैवाहिक विवाद से संबंधित है, जिसमें आवेदक के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था।

4. दूसरी ओर, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया है तथा कथन किया है कि 1,46,00,000/- रुपये की एक विशाल धनराशि का दुर्विनियोजन किया गया है। एक फर्जी व्यक्ति द्वारा एक कूट विक्रय पत्र निष्पादित किया गया था तथा आवेदक एवं सह-अभियुक्त परवेश प्रमुख अभियुक्त थे, जिन्होंने सूचनाकर्ता को उन कूटरचित व्यक्तियों से परिचित कराने में सहायता की। सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह इंगित किया कि आवेदक तथा सह-अभियुक्त कुलदीप उर्फ गोली के विरुद्ध एक अन्य प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो मुकदमा अपराध संख्या 825/2026 है, दर्ज कराई गई है और यह आवेदक द्वारा बार-बार अपराध किए जाने की प्रवृत्ति दर्शाता है तथा उसे अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु विचार में नहीं लिया जाना चाहिए।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कथनों को अंगीकार किया है, तथापि, आवेदक द्वारा अपने आपराधिक इतिहास के संबंध में दिए गए स्पष्टीकरण का खण्डन नहीं कर सके।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत कथनों पर विचार किया है।

7. समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त परवेश उर्फ बंटी भाटी को इस न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा **आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 17974 सन् 2026 (परवेश उर्फ बंटी भाटी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य)** में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया जा चुका है। उक्त रिट याचिका अभी भी इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। आवेदक ने अपने आपराधिक इतिहास का सम्यक् रूप से स्पष्टीकरण दिया है। सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निर्दिष्ट किया गया एक मामला वर्तमान मामले के पश्चात दर्ज कराया गया मामला है। आवेदक पूर्व दोषसिद्ध नहीं है और उसे विक्रय पत्र का लाभार्थी नहीं बताया गया है। अनुपूरक शपथपत्र

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के अनुच्छेद संख्या 23 में उल्लिखित अनुसार, आवेदक को विक्रय प्रतिफल से जोड़ने वाला कोई संव्यवहार विद्यमान नहीं है।

8. मामले के समस्त तथ्यों तथा परिस्थितियों के दृष्टिगत, यह न्यायालय प्रथम दृष्टया इस राय का है कि अग्रिम जमानत हेतु मामला बनता है।

9. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

10. आवेदक **बसंत** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उक्त मुकदमा अपराध में अग्रिम जमानत पर, संबंधित थाने के थानाध्यक्ष/न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र तथा प्रत्येक तत्समान धनराशि की जमानत प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ अविलंब मुक्त किया जाएगा:-

- i. आवेदक आवश्यकतानुसार पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ हेतु स्वयं को उपलब्ध कराएगा;
- ii. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का प्रकटीकरण करने से विरत रखने हेतु प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा;
- iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
- iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे धमकाएगा नहीं;

11. उपर्युक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त किए जाने हेतु स्वतंत्र होगा।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त प्रेक्षण केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निस्तारण हेतु किए गए हैं तथा इन्हें मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाएगा।

**दिनांक: 24 अगस्त, 2026**

सचिन

**(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)**